प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9** **लखनऊ : दिनांक 06 मई, 2026**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनु0 सं0-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्रांक-01/ अधि0ब0अनु0, दिनांक 06.04.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0 सं0-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार अंकित धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के साथ प्रदान करते हैं;-

**(1)** अनुदान सं0-95/ 2701 के अन्तर्गत भारित मद में करायी गयी बजट व्यवस्था व्यय शासन के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सम्बन्धित अनुभागों की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाये।

**(2)** उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

**(3)** विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/ 94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

**(4)** उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी विनियोग की प्राथमिकी इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन/ वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

**(5)** व्यय प्रबन्धंन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स ऑफ फाइनेन्शिल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

**(6)** उक्त वित्तीय स्वीकृती वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28.03.2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

**(7)** अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत वित्त नियंत्रक द्वारा प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त तत्संबंधी स्वीकृतियां निर्गत की जाएगी। बजट आवंटन हेतु मांग पत्र क्षेत्रीय अधिशासी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

अभियंताओं द्वारा संबंधित आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य अभियंता के माध्यम से वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को प्रेषित किए जाएंगे।

**(8)** उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए/ डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 2700800010300 (उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 01 वेतन | 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) |
| *2* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 03 मंहगाई भत्ता | 97,50,000 ( रुपये सत्तानबे लाख पचास हजार मात्र ) |
| *3* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 04 यात्रा व्यय | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *4* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| *5* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 06 अन्य भत्ते | 5,00,000 ( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| *6* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 08 कार्यालय व्यय | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *7* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 09 विद्युत देय | 5,00,000 ( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| *8* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 10 जलकर / जल प्रभार | 1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| *9* | 095 | 2700800010300 उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *10* | 095 | 2700800010300 | 12 | 25,00,000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | ( रुपये पच्चीस लाख मात्र ) |
| *11* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 2,50,000<br>( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *12* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 20,00,000<br>( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| *13* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 30,00,000<br>( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| *14* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| *15* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 18<br>प्रकाशन | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| *16* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 19<br>विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| *17* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 42<br>अन्य व्यय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| *18* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 7,50,000<br>(रुपये सात लाख पचास हजार मात्र ) |
| *19* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 45<br>अवकाश यात्रा व्यय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| *20* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 20,00,000<br>( रुपये बीस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *21* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| *22* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 49<br>चिकित्सा व्यय | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| *23* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 55<br>मकान किराया भत्ता | 7,50,000<br>(रुपये सात लाख पचास हजार मात्र ) |
| *24* | 095 | 2700800010300<br>उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **4,10,00,000**<br>**( रुपये चार करोड़ दस लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2700800010400(राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 01<br>वेतन | 5,28,68,000<br>( रुपये पाँच करोड़ अट्ठाईस लाख अड़सठ हजार मात्र ) |
| *2* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 02<br>मजदूरी | 1,000<br>( रुपये एक हजार मात्र ) |
| *3* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 03<br>मंहगाई भत्ता | 3,43,64,000<br>( रुपये तीन करोड़ तैंतालीस लाख चौंसठ हजार मात्र ) |
| *4* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 04<br>यात्रा व्यय | 1,50,000<br>( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| *5* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं | 05<br>स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | | |
| 6 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 06<br>अन्य भत्ते | 54,000<br>(रुपये चौवन हजार मात्र) |
| 7 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 08<br>कार्यालय व्यय | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| 8 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 09<br>विद्युत देय | 18,00,000<br>( रुपये अठारह लाख मात्र ) |
| 9 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 10<br>जलकर / जल प्रभार | 10,000<br>( रुपये दस हजार मात्र ) |
| 10 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 11<br>लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 11 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1,50,000<br>( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| 12 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| 13 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 29,00,000<br>(रुपये उनतीस लाख मात्र) |
| 14 | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 30,00,000<br>(रुपये तीस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | विश्लेषण केन्द्र | | |
| *15* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| *16* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 18<br>प्रकाशन | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| *17* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 19<br>विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| *18* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 29<br>अनुरक्षण | 8,00,000<br>(रुपये आठ लाख मात्र ) |
| *19* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 42<br>अन्य व्यय | 2,50,000<br>( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| *20* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50,000<br>(रुपये पचास हजार मात्र) |
| *21* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| *22* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| *23* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 49<br>चिकित्सा व्यय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *24* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 51<br>वर्दी व्यय | 10,000<br>( रुपये दस हजार मात्र ) |
| *25* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 52<br>पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 19,40,000<br>( रुपये उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र ) |
| *26* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 55<br>मकान किराया भत्ता | 28,30,000<br>( रुपये अट्ठाईस लाख तीस हजार मात्र ) |
| *27* | 095 | 2700800010400<br>राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विश्लेषण केन्द्र | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 44,00,000<br>( रुपये चौवालीस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **11,02,77,000**<br>**(रुपये ग्यारह करोड़ दो लाख सतहत्तर हजार मात्र)** |

**लेखाशीर्ष:** 2701020010300 (निदेशन )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 01<br>वेतन | 1,95,60,00,000<br>( रुपये एक अरब पंचानबे करोड़ साठ लाख मात्र ) |
| *2* | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 03<br>मंहगाई भत्ता | 1,27,14,00,000<br>( रुपये एक अरब सत्ताईस करोड़ चौदह लाख मात्र ) |
| *3* | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 04<br>यात्रा व्यय | 3,00,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ मात्र ) |
| *4* | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 05<br>स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 95,00,000<br>( रुपये पंचानबे लाख मात्र ) |
| *5* | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 06<br>अन्य भत्ते | 3,23,50,000<br>( रुपये तीन करोड़ तेईस लाख पचास हजार मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 08<br>कार्यालय व्यय | 3,20,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र ) |
| 7 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 09<br>विद्युत देय | 6,00,00,000<br>( रुपये छह करोड़ मात्र ) |
| 8 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 10<br>जलकर / जल प्रभार | 75,00,000<br>( रुपये पचहत्तर लाख मात्र ) |
| 9 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 11<br>लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1,70,00,000<br>( रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र ) |
| 10 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1,55,00,000<br>(रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र) |
| 11 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 85,00,000<br>( रुपये पचासी लाख मात्र ) |
| 12 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3,00,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ मात्र ) |
| 13 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 55,00,000<br>( रुपये पचपन लाख मात्र ) |
| 14 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 1,60,00,000<br>( रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र ) |
| 15 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 18<br>प्रकाशन | 30,00,000<br>( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| 16 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 19<br>विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 25,00,000<br>( रुपये पच्चीस लाख मात्र ) |
| 17 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 29<br>अनुरक्षण | 45,00,000<br>( रुपये पैंतालीस लाख मात्र ) |
| 18 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 42<br>अन्य व्यय | 55,00,000<br>( रुपये पचपन लाख मात्र ) |
| 19 | 095 | 2701020010300<br>निदेशन | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 45,00,000<br>( रुपये पैंतालीस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *20* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 45 अवकाश यात्रा व्यय | 20,00,000 ( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| *21* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 35,00,000 ( रुपये पैंतीस लाख मात्र ) |
| *22* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 4,00,00,000 ( रुपये चार करोड़ मात्र ) |
| *23* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 49 चिकित्सा व्यय | 6,50,00,000 (रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| *24* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 51 वर्दी व्यय | 20,00,000 ( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| *25* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 55 मकान किराया भत्ता | 12,93,00,000 ( रुपये बारह करोड़ तिरानबे लाख मात्र ) |
| *26* | 095 | 2701020010300 निदेशन | 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 7,00,00,000 ( रुपये सात करोड़ मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,82,30,50,000 ( रुपये तीन अरब बयासी करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2701020010400 (कार्यकारी अधिष्ठान )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 01 वेतन | 25,84,50,13,000 ( रुपये पच्चीस अरब चौरासी करोड़ पचास लाख तेरह हजार मात्र ) |
| *2* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 03 मंहगाई भत्ता | 16,79,92,58,000 ( रुपये सोलह अरब उनासी करोड़ बानबे लाख अट्ठावन हजार मात्र ) |
| *3* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 04 यात्रा व्यय | 22,50,00,000 (रुपये बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) |
| *4* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 2,25,00,000 ( रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अधिष्ठान | | |
| 5 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 06 अन्य भत्ते | 25,00,00,000 ( रुपये पच्चीस करोड़ मात्र ) |
| 6 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 08 कार्यालय व्यय | 15,20,00,000 ( रुपये पन्द्रह करोड़ बीस लाख मात्र ) |
| 7 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 09 विद्युत देय | 60,00,00,000 ( रुपये साठ करोड़ मात्र ) |
| 8 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 10 जलकर / जल प्रभार | 4,67,00,000 (रुपये चार करोड़ सड़सठ लाख मात्र ) |
| 9 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 5,70,00,000 ( रुपये पाँच करोड़ सत्तर लाख मात्र ) |
| 10 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 4,70,00,000 ( रुपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र ) |
| 11 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 13 टेलीफोन पर व्यय | 1,15,00,000 ( रुपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र ) |
| 12 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 11,50,00,000 (रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) |
| 13 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 28,55,00,000 ( रुपये अट्ठाईस करोड़ पचपन लाख मात्र ) |
| 14 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 27,47,00,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) |
| 15 | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 18 प्रकाशन | 2,10,00,000 ( रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र ) |
| 16 | 095 | 2701020010400 | 19 | 35,00,000 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कार्यकारी अधिष्ठान | विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | ( रुपये पैंतीस लाख मात्र ) |
| *17* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 13,50,00,000 (रुपये तेरह करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| *18* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 29 अनुरक्षण | 35,00,000 ( रुपये पैंतीस लाख मात्र ) |
| *19* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 42 अन्य व्यय | 1,30,00,000 ( रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र ) |
| *20* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 5,30,00,000 ( रुपये पाँच करोड़ तीस लाख मात्र ) |
| *21* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 45 अवकाश यात्रा व्यय | 1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र ) |
| *22* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय | 7,00,00,000 ( रुपये सात करोड़ मात्र ) |
| *23* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5,00,00,000 ( रुपये पाँच करोड़ मात्र ) |
| *24* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 49 चिकित्सा व्यय | 45,50,00,000 ( रुपये पैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र ) |
| *25* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 51 वर्दी व्यय | 1,91,00,000 ( रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख मात्र ) |
| *26* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| *27* | 095 | 2701020010400 कार्यकारी अधिष्ठान | 55 मकान किराया भत्ता | 1,23,23,75,000 ( रुपये एक अरब तेईस करोड़ तेईस लाख पचहत्तर हजार मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *28* | 095 | 2701020010400<br>कार्यकारी अधिष्ठान | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 40,20,00,000<br>( रुपये चालीस करोड़ बीस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **47,20,21,46,000**<br>**( रुपये सैंतालीस अरब बीस करोड़ इक्कीस लाख छियालीस हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2701020010500 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था ) )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020010500<br>कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों के कार्मिकों हेतु एकमुश्त व्यवस्था) | 02<br>मजदूरी | 40,20,00,000<br>( रुपये चालीस करोड़ बीस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **40,20,00,000**<br>**( रुपये चालीस करोड़ बीस लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2701020010700 (कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) )

| | **अनुदान संख्या** | **लेखा शीर्षक** | **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020010700<br>कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) | 01<br>वेतन | 18,95,30,000<br>( रुपये अठारह करोड़ पंचानबे लाख तीस हजार मात्र ) |
| *2* | 095 | 2701020010700<br>कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) | 03<br>मंहगाई भत्ता | 12,31,95,000<br>( रुपये बारह करोड़ इकतीस लाख पंचानबे हजार मात्र ) |
| *3* | 095 | 2701020010700<br>कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) | 06<br>अन्य भत्ते | 2,62,50,000<br>( रुपये दो करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र ) |
| *4* | 095 | 2701020010700<br>कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग की कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु व्यवस्था) | 55<br>मकान किराया भत्ता | 1,80,00,000<br>( रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **35,69,75,000**<br>**( रुपये पैंतीस करोड़ उनहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र )** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

**लेखाशीर्ष:** 2701020010800 (प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के लिए विविध व्यय )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020010800<br>प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के लिए विविध व्यय | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 50,00,000<br>( रुपये पचास लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **50,00,000<br>( रुपये पचास लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2701020011000 (सिंचाई यांत्रिक के अधीन टोल फ्री काल सेन्टर )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701020011000<br>सिंचाई यांत्रिक के अधीन टोल फ्री काल सेन्टर | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1,36,75,000<br>( रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र ) |
| | **कुल** | | | **1,36,75,000<br>( रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 2701808000300 (नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 095 | 2701808000300<br>नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा | 20<br>सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 14,30,00,00,000<br>( रुपये चौदह अरब तीस करोड़ मात्र ) |
| | **कुल** | | | **14,30,00,00,000<br>( रुपये चौदह अरब तीस करोड़ मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | **66,25,41,23,000<br>( रुपये छियासठ अरब पच्चीस करोड़ इकतालीस लाख तेईस हजार मात्र )** |

**के नामे डाला जायेगा।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/ 2026/ बी-1-812/ दस-2026-231/ 2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है